

10.01.2025

पत्रावली आज पेपर डुबई प्रार्थी काधिकार
की कुलीम अव्वल उपस्थित पेरिकार
सरकार उपस्थित दौनों पक्षों की बहस
हुनी गई। प्रार्थी की बूठ काशील निर्दिष्ट
हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर
काव किमी की प्रकार की कोई कार्यवाही
कोपेक्षित नहीं हो कतः प्रार्थी को प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र को इसी स्वर पर खारिज
किया जात है निर्णय सरे इजलास सुनमा
गया। पत्रावली केसक शुमार होकर मंजूर
से कम है।

(अल्पा-बोधिनी)
जिला कलेक्टर, सिराही

